न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल
जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी : रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 155/2020

वादीगण –

1. छैलाराम पुत्र जंवरीराम उम्र वयस्क
2. दरूदेवी पुत्री जंवरीराम उम्र वयस्क
3. फेफीदेवी पुत्री जंवरीराम उम्र वयस्क
   जातियान–जाट, निवासीगण–भादवासी, तहसील–डेगाना (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. परसाराम पुत्र चूनाराम उर्फ पूनाराम उम्र वयस्क
2. नरसाराम पुत्र चूनाराम उर्फ पूनाराम उम्र वयस्क
   जातियान–जाट, निवासीगण–भादवासी, तहसील–डेगाना (नागौर)
3. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा सांजू तहसील–डेगाना
4. एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा मेड़तासिटी
5. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री एस.एस. कालवी अधिवक्ता वादीगण
2. श्री एम.एल. कड़वासरा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 2
3. प्रतिवादी संख्या 3, 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
4. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित

निर्णय दिनांक : 18/03/2024

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वकील वादी ने निवेदन किया कि वादी संख्या 1 जायंदा प्रतिवादी संख्या 1 पुत्र का है लेकिन स्व. जवरीराम

18/03/2024
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

ने गोद लिया तथा गोदनामा रजिस्टर्ड करवा दिया। वादी संख्या 2 वादी संख्या 1 की माता यानि स्व. जंवरीराम की पत्नि है तथा वादी संख्या 2 उनकी पुत्री यानि वादी संख्या 1 की बहन है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्व. जंवरीराम के भाई है। इनके पुश्तैनी बढेर की खातेदारी सुदा भूमि ग्राम भावला तहसील जायल में खसरा नं. 398/358, 353, 362/407, के रूप में स्थित है इसके अलावा अन्य भूमियां ग्राम भादवासी तहसील–डेगाना में भी है, ग्राम भावला की भूमि में जंवरीराम का नाम जंवरीलाल दर्ज हो गया, जबकि सही नाम जवंरीराम ही है। इसके अलावा इनके पिता का नाम पूनाराम है जो कि ग्राम भावला की जमाबंदी में चूनाराम दर्ज हो गया, जो राजस्व कर्मचारियों की गलती से ही हुआ हैं अन्य दस्तावेजों में उनका नाम जंवरीराम तथा पूनाराम ही दर्ज है तथा ग्राम भादवासी की जमाबंदियो में भी उनके नाम जंवरीराम तथा पूनाराम दर्ज है। वादीगण के पिता का देहान्त हो जाने पर बार–2 निवेदन करने पर फौतगी नामान्तकरण नहीं हो पाया है, इसी प्रकार नाम दुरूस्ती हेतु तहसीलदार जायल का बार–2 निवेदन करने पर नाम भी दुरूस्त नहीं किया गया। जिसके कारण वादीगण को कई प्रकार की परेशानी हो रही है।

अतः बिनाय दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण वादीगण के पिता व पति का स्वर्गवास हो जाने के बाद भी फौतगी नामान्तरकरण नहीं होने तथा पक्षकारान के नाम गलत दर्ज होने पर राजस्व रेकर्ड में नाम दुरूस्त नहीं होने से बमुकाम मौजा भावला पैदा हुआ जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है, जिसे स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु आदेश प्रदान करावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री मुन्नीलाल कड़वासरा ने वकालात नामा पेश किया। तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के सम्मन तामील सुदा प्राप्त होने पर गैर हाजिर रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद के विचाराधीन रहते वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि वादी संख्या 2 जो कि स्व. जंवरीराम की पुत्री है जबकि वादपत्र में प्लीडिंग के दौरान सहवन से पत्नि अंकित हो गया। जिसे वादपत्र में पत्नि के स्थान पर पुत्री के रूप में पढ़ा जावे जिससे वादपत्र के

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

संशोधन में किसी प्रकार विपरित प्रभाव नहीं नहीं पडेगा। वकील वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं प्रार्थना 6 नियम 17 को वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जरिये इकबालिया स्वीकार करने पर प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 06 नियम 17 सी.पी.सी. स्वीकार किया गया। वकील वादी ने संशोधित शिर्षक पेश किया।

हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 द्वारा प्रकरण के संबंध में इकबालिया जवाब दावा पेश होने प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 5 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह वादी छैलाराम, मनोज के पेश के पेश हुये, शपथ पत्र पर गवाह के बयान कलमबद किये गये। वकील वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी ग्राम भावला, तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 80 प्रदर्श–1, खाता संख्या 97 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी ग्राम बछवारी सम्वत् 2067–2075 खाता संख्या 73 प्रदर्श–3, गोदनामा की फोटोप्रति प्रदर्श–4 पेश कराई गई है। इसके अलावा राशनकार्ड, जन आधारकार्ड, मतदाता परिचय पत्र आधारकार्ड, बैंक पास बुक तथा एच.डी.एफ.सी. बैंक का नॉ–ड्यूज, मृत्यु प्रमाण पत्र जवरीराम पेश किये। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 2 द्वारा पत्रावली में जरिये इकबालिया जवाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वादपत्र को माफीक वाद एवं इकबालिया जवाब दावा में वर्णित पैराज अनुसार मौजा भावला तहसील–जायल के खसरा नं. 398/358, 353, 362/407, की भूमि में से 1/3 हिस्सा

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

वादीगण की खातेदारी में घोषित किया जावे तथा वादीगण के पिता व पति का नाम जंवरीलाल के स्थान पर जंवरीराम तथा प्रतिवादी संख्या 2 का जमाबंदी में अंकित नाम नारायणराम के स्थान पर नरसाराम व परसाराम के पिता का नाम चूनाराम के स्थान पर पूनाराम राजस्व रेकर्ड में शुद्ध कयि जाने के आदेश प्रदान करे तथा माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर तहसीलदार जायल को जारी की जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। चूंकि वादी ने वादपत्र में खातेदारी घोषणा एवं राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान के नाम शुद्ध करने की इस्दुआ की है। वादपत्र में साक्ष्य स्वरूप प्रदर्श कराये गये दस्तावेजात् अर्थात नकल जमाबंदी ग्राम भावला खाता संख्या 80 खसरा नं. 353, 362/407 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का 1/3 हिस्सा पृथक–2 दर्ज है तथा खातेदार काश्तकार का नाम जंवरीलाल पुत्र चूनाराम, नारायणराम पुत्र चुनाराम व परसाराम पुत्र चूनाराम दर्ज। इसी प्रकार नकल जमाबंदी ग्राम भावला सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 97 खसरा नं. 398/358 की भूमि में खातेदार काश्तकार का नाम जंवरीलाल पुत्र चुनाराम दर्ज है। जबकि ग्राम बछवारी तहसील डेगाना की नकल जमाबंदी सम्वत् 2067–76 खाता संख्या 73 खसरा नं. 699 व 700 में खातेदार काश्तकार के पिता का नाम जंवरीराम, पूनाराम दर्ज है। मुतदाविया खेत खसरा नं. 398/358 का खातेदार काश्तकार जंवरीराम फौत हो चुका है, जिसके साक्ष्य स्वरूप मृत्यु प्रमाण पत्र पेश है। इसी प्रकार इसी प्रकार उप पंजीयक सांजू तहसील–डेगााना द्वारा रजिस्टर्ड गोदनामें के अवलोकन से भी पाया कि जंवरीराम के पिता का सही नाम पूनाराम है न कि चूनाराम है।

हस्तगत प्रकरण में मौजा भावला के वादग्रस्त खेतायों की भूमि में वादी 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित होना चाहता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से व खातेदारी की भूमि में सहखातेदार होना चाहता है न की मुतदाविया खेतायों की भूमि का बंटवारा चाहा है। वादी के वादपत्र का स्वीकार किये जाने में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपनी सहमति व्यक्त की है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
ज़ायल, जिला नागौर

अतः हम वादी के वाद को स्वीकार किया जाना तथा वादीगण द्वारा चाही गई इस्तदुआ माफिक ग्राम–भावला तहसील–जायल के खसरा नं. 398/358 की भूमि में वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना तथा ग्राम भावला तहसील के खसरा नं. 353, 362/407 में अंकित वादीगण के पिता/पति का नाम जंवरीलाल के स्थान पर जंवरीराम तथा प्रतिवादी संख्या 2 नारायणराम के स्थान पर नरसाराम व पिता का चूनाराम के स्थान पूनाराम शुद्ध किया जाना न्यायसंगत तथा वाद पत्र को अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 माफिक इस्तदुआ अनुसार स्वीकार किया जाता है तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. ग्राम–भावला तहसील–जायल के खसरा नं. 398/358 की भूमि में वादीगण 1 से 3 क्रमशः छेलाराम, दरूदेवी, फेफीदेवी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम भावला तहसील के खसरा नं. 353, 362/407 में अंकित वादीगण के पिता/पति का नाम जंवरीलाल के स्थान पर जंवरीराम तथा प्रतिवादी संख्या 2 नारायणराम के स्थान पर नरसाराम व पिता का चूनाराम के स्थान पूनाराम दुरूस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18/03/2024 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

18/03/2024
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 155/2020
छैलाराम बनाम परसाराम वगैरह

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 155/2020

वादीगण –
1. छैलाराम पुत्र जंवरीराम उम्र वयस्क
2. दरूदेवी पुत्री जंवरीराम उम्र वयस्क
3. फेफीदेवी पुत्री जंवरीराम उम्र वयस्क

जातियान–जाट, निवासीगण–भादवासी, तहसील–डेगाना (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –
1. परसाराम पुत्र चूनाराम उर्फ पूनाराम उम्र वयस्क
2. नरसाराम पुत्र चूनाराम उर्फ पूनाराम उम्र वयस्क
   जातियान–जाट, निवासीगण–भादवासी, तहसील–डेगाना (नागौर)
3. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा सांजू तहसील–डेगाना
4. एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा मेड़तासिटी
5. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–
1. श्री एस.एस. कालवी अधिवक्ता वादीगण
2. श्री एम.एल. कड़वासरा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 2
3. प्रतिवादी संख्या 3, 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
4. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित

– : : आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री एस.एस. कालवी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2 हाजरी श्री मुन्नीलाल कड़वासरा व प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –

सहायक कलक्टर जायल

18/03/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 155/2020
छैलाराम बनाम परसाराम वगैरह

ग्राम–भावला तहसील–जायल के खाता संख्या 97 खसरा नं. 398/358 की भूमि में वादीगण 1 से 3 क्रमशः छेलाराम, दरूदेवी, फेफीदेवी को 1/3-2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।
ग्राम भावला तहसील के खाता संख्या 80 खसरा नं. 353, 362/407 में अंकित वादीगण के पिता/पति का नाम जंवरीलाल के स्थान पर जंवरीराम तथा प्रतिवादी संख्या 2 नारायणराम के स्थान पर नरसाराम व पिता का चूनाराम के स्थान पूनाराम दुरूस्त किया जाता है।

18/03/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी जायल(नागौर)

तीज – **मुबलिग** – **बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....18/03/2021...... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

सहायक कलेक्टर जायल (एस.डी.ओ.)

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

18/03/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी जायल(नागौर)

Scanned with CamScanner